न्यायालय कलेक्टर एंव भू–अर्जन अधिकारी जिला मुरैना म0प्र0

प्र0क0 / 05 / 2016–17 / अ–82 / नौरावली सेमई /

मुख्य निर्माण अभियंता (अनुसंधान एंव विकास)
रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन (D.R.D.O)
रक्षा मंत्रालय, P-1, बिल्डिंग, मेटकॉफ हॅाउस,
दिल्ली, 110 054

.... आवेदक

विरुद्ध

रामेत पुत्र करन सिंह जाति गुर्जर बगैरह,
निवासी नौरावली सेंमई,

.... अनावेदक

अधिनिर्णय (पारित दिनांक 20.06.2017)

1– आवेदक, मुख्य निर्माण अभियंता (अनुसंधान एंव विकास), रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन, दिल्ली, द्वारा पत्र दिनांक 02.06.2016 से ग्राम नौरावली सेंमई, तहसील–सबलगढ, मे भूमि अधिग्रहण करने का लेख किया भूमि का ब्योरा इस प्रकार है:–

सर्वे कमांक	कुल रकवा (हेक्टयर मे)	अर्जन हेतु रकवा (हेक्टयर मे)
04	0.42	0.17
05	0.42	0.17
06	0.21	0.12

म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, के पत्र कमांक / 16 / 570 / 2016 / सात / शा.2ए, भोपाल, दिनांक 26.10.2016 से "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एंव पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" (2013 का 30) जिसे आगे "भू–अर्जन अधिनियम 2013" कहा जावेगा, इसकी धारा 40 के तहत भू–अर्जन किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण तहसीलदार–सबलगढ, द्वारा कराया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

2— भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 एंव 40 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क0 5096 दिनांक 11.11.2016 जारी की गई, भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है:—

सर्वे कमांक	कुल रकवा (हेक्टयर मे)	अर्जन हेतु रकवा (हेक्टयर मे)
04	0.42	0.17
05	0.42	0.17
06	0.21	0.12

उक्त अधिसूचना म0प्र0 राजपत्र भाग—01 के पृष्ठ क0 4716—4717 दिनांक 9.12.2016 को पर प्रकाशित हुई। दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान एक्सप्रेस'' तथा ''अजय भारत'' मे दिनांक 12.11.2016 को प्रकाशित हुई। कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय एंव ग्राम पंचायत रुनधान खालसा एंव ग्राम नौरावली सेंमई की चौपाल पर दिनांक 14.11.2016 को चस्पा की गई। नियत समय सीमा की अंतिम तिथि तक कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने के उपरान्त धारा 19 की कार्यवाही की गई।

3— भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 40 को शामिल करते हुये धारा 19(1) के तहत अधिसूचना कार्यालय कलेक्टर एंव भू—अर्जन अधिकारी मुरैना के पत्र कमांक 6354 दिनांक 23.12.2016 को जारी की गई, जो कि म0प्र0 राजपत्र मे भाग—1, दिनांक 13.01.2017 के पृष्ठ क0 113—114 पर प्रकाशित हुई, तथा समाचार पत्र दैनिक स्वदेश मे दिनांक 6.1.2017 को प्रकाशित हुई। ग्राम पंचायत रुनधान खालसा के सूचना पटल, तहसील कार्यालय के सूचना पटल, कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल एंव ग्राम चौपाल नोरावली सेंमई पर दिनांक 28.12.2016 को चस्पा की गई।

भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के तहत समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना पत्र दिनांक 17.04.2017 को जारी किये गये, जो कलेक्टर मुरैना के वेबपोर्टल पर दिनांक 18.04.2017 को अपलोड किया गया। ग्राम पंचायत रुनधान खालसा, तहसील कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर 18.4.2017 को चस्पा की गई। भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(2) के तहत भू—स्वामियों को व्यक्तिगत सूचना पत्र दिनांक 17.04.2017 को जारी किये गये। जिससे दिनांक 16.05.2017 तक भूमि पर के स्वत्व, दावे, आपत्ति प्रस्तुत करने का लेख किया गया। नियत अवधि के अंतिम दिनांक तक कोई भी दावा—आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 के तहत बाजार दर का निर्धारण किये जाने के लिये जिला पंजीयक से धारा 11 के प्रकाशन दिनांक 9.12.2016 के पूर्व के तीन बर्षो मे विकय पत्रों तथा बर्ष 2016—17 की गाइड लाइन की जानकारी ली गई। तद्नुसार बाजार मूल्य का अवधारण किया गया, जिसमे सिंचित भूमि की दर 981124.00 रु0 तथा असिंचित भूमि की दर 669000.00 रु0 निर्धारित की गई।

20/6/17

भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत ग्राम नौरावली सेंमई की भूमि अर्जित की जाकर निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है:–

(एक) अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन:–

(अ) सिंचित भूमि 0.46 हे0 की रु0 981124.00 प्रति हेक्टयर की दर से मूल्यांकन राशि	रु0 4,51,317.00
(ब) असिंचित भूमि (निरंक) हे0 की रु0 669000.00 प्रति हेक्टयर की दर से मूल्यांकन राशि	रु0 —
भूमि की कुल राशि–	रु0 4,51,317.00
(दो) परिसम्पत्ति:–	
(स) कुआं / बोर / ट्यूबवेल	रु0 निरंक
(द) निर्माण भवन / बाउन्ड्री	रु0 निरंक
(इ) वृक्ष आदि	रु0 निरंक
भूमि एंव वृक्ष व परिसम्पतियों की कुल राशि–	रु0 4,51,317.00
शासन के परिपत्र दिनांक 06 सितम्बर 2014 अनुसार गुणांक	01
भूमि एंव परिसम्पतियों की कुल राशि–	
(तीन) भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30(3) के तहत संगणित राशि, धारा 11 के प्रकाशन दिनांक 11.11.2016 से अवार्ड दिनांक 20.06.2017 तक 07 माह 10 दिवस के लिये	
संगणित राशि–	रु0 33,076.00
(चार) भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30(1) के तहत तोषण राशि (उपरोक्त बिन्दु–दो अनुसार)	रु0 4,51,317.00
कुल राशि–	रु0 9,35,710.00
प्रशासनिक शुल्क 05%	रु0 46,786.00
कुल अवार्ड राशि–	रु0 9,82,496.00

(कुल अवार्ड राशि अक्षरी नौ लाख बियासी हजार चार सौ छियानवे रु0 मात्र)

नोट– व्यक्तिगत भूमि स्वामियों के अधिनिर्णय राशि प्रथक से परिशिष्ट A एंव B संलग्न हे जो अधिनिर्णय का हिस्सा होगा।

20/6/2017

भू अर्जन अधिकारी
जिला मुरैना म0प्र0

कलेक्टर
जिला मुरैना म0प्र0